प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनाँक 02.05.2026

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी यातायात द्वारा विशेष अभियान चलाकर हटवाया गया अतिक्रमण, अनियमितता पाये जाने पर 09 वाहनों को किया गया सीज

आज दिनाँक 02.05.2026 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी यातायात ***श्री अमित कुमार*** द्वारा प्रभारी यातायात ***श्री परमहंस*** के साथ आशीर्वाद मोड़ से गोकुल तिराहा तक विशेष अभियान चलाकर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को हटवाया गया तथा फुटपाथ के किनारे अवैध रूप से लगाये गये ठेले, अनियमित तरीके से किये गये वाहन पार्किंग/वाहन स्टैण्ड द्वारा किये गए अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान अनियमितता पाये जाने पर 09 वाहनों को सीज किया गया।

यातायात प्रभारी द्वारा आम जनमानस को यातायात जागरुकता के नियमों के बारें में जागरुक करते हुए वाहन चलाते समय तीन सवारी न बैठने, बिना नम्बर प्लेट लगी वाहन न चलाने, नशे की हालत में गाड़ी न चलाने, वाहन को ओवर स्पीड से न चलाने हेतु बताया गया। साथ ही लोगों से अपील भी किया गया कि वे अपने परिवार वालों एवं रिश्तेदारों तथा आसपास के लोगों को वाहन चलाते समय हेलमेट व सीट बेल्ट के प्रयोग करने हेतु प्रेरित करें।

मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 द्वितीय चरण के तहत थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अपहृता बरामद

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनाँक 02.05.2026 को थाना धर्मसिंहवा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 45/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अविनाश उर्फ टमाटर पुत्र प्रेम उर्फ अंगद बारी निवासी मेंहदूपार थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर को सिकरी नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 27.04.2026 को थाना धर्मसिंहवा पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादी की पुत्री को शादी को झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा अपहृता को बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री संदीप कुमार राय, उ0नि0 श्री सुरेन्द्र यादव, का0 रणजीत यादव, म0का0 पूनम गौंड।

दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त साहुल पुत्र गोविन्द निवासी मरवटिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री प्रभान्शु कुमार राय।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त रामानन्द पुत्र प्रभु निवासी कौवाठोर थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री कय्यूम अंसारी, हे0का0 मुरली मनोहर।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5994 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 03 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल− पीआरवी 5994 को थाना बेलहरकला क्षेत्रांतर्गत करमाकला से कालर द्वारा दो मोटरसाइकिलों के आपस में टकरा जाने के कारण दुर्घटना में घायल 03 व्यक्तियों(1.मनीष चौरसिया 2.संजय चौरसिया 3.सेन्टर यादव निवासीगण ग्राम करमा कला थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु सीएचसी मेंहदावल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना बेलहरकला को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घायलों को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- का0 प्रशान्त यादव, हो0गा0 मो0 रफीक।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 238 वाहनों से 2,64,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 02.05.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 238 वाहनों से 2,64,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 द्वितीय चरण के तहत थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अपहृता बरामद

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनाँक 02.05.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 331/2026 धारा 137(2)/87/352/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त नीरज कुमार पुत्र रामदवन निवासी रसहरा उर्फ दशहरा थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को नेदुला चौराहे के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 01.05.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा अपहृता को बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री ध्रुवनारायण यादव, का0 धर्मेन्द्र कुमार गौड़, म0का0 दुर्गावती खरवार।

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट करने व गाली गलौज के मामले में 02 अभियुक्तो को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 4,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 02.05.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0(एस0डी0)एफटीसी/ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 02 अभियुक्तो को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 4,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा श्री विशाल पुत्र हजारी निवासी बभनौली थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर अभियुक्तगण पिण्टू पुत्र सूरत व कृष्णा पुत्र झकरी निवासीगण बभनौली थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के के विरुद्ध वादी के साथ मारपीट करने व गाली गलौज करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उ0नि0 श्री अनिल कुमार पाण्डेय द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

एनसीआर नं0 410/2020 धारा 323, 504 भादवि थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के प्रकरण में अभियुक्तगण उपरोक्त को उक्त प्रकरण में जुर्म स्वीकार करने पर अन्तर्गत धारा 323,504 भादवि के तहत न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक अभियुक्तगण को 2000-2000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जाता है। जुर्माना अदा न करने पर 07-07 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।